न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस,

राजस्व अपील संख्या 154/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. मन्दिर मूर्ति श्री चाम्पल माताजी भलखाडी जरिये पुजारी नारायणसिंह पुत्र मूलदान गढवी निवासी– भलखाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, सिणधरी जिला बालोतरा। 2. ग्राम पंचायत पायला खुर्द जरिये सरपंच, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 29.04.2022 जो उपखंड अधिकारी सिणधरी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2022 अनवान मन्दिर मूर्ति श्री चाम्पल माताजी भलखाडी बनाम राज0 सरकार वगैराह में पारित किया।

उपस्थितिः–

1. श्री बजरंगसिंह, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से
3. श्री महादेवसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

संभागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 28 मई, 2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्रम भलखाडी के ख0सं0 108 गैर मुमकील मंदिर व ख0सं0 109 व 111 गैर मुमकीन ओरण राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टी इन्द्राज हो रखी है जबकि वास्तव में ख0सं0 108 की भूमि किस्म गै0मु0 मन्दिर श्री चाम्पल माताजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिये थी। अतः जमाबन्दी में दायर उक्त अशुद्ध प्रविष्टि के स्थान पर ग्राम भलखाडी के ख0ंस0 108 की भूमि किस्म गै0मु0 मन्दिर के स्थान पर गैर मु0 श्री चाम्पल माताजी व ख0सं0 109 व 111 किस्म गै0मु0 ओरण के स्थान पर गै0 मु0 ओरण श्री चाम्पल माताजी के नाम दर्ज किया जावे तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय/सक्षम अधिकारी के आदेश के ग्राम पंचायत का नाम दर्ज किया गया, है, को वापस हटाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान करावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए तहसीलदार, सिणधरी से जवाब तलब किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त रेकर्ड दुरूस्ती के आवेदन दिनांक 4.3.2022 को अपने आदेश दिनांक 19.04.2022 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम भलखाडी के ख0सं0 108 किस्म गैर मुमकीन मंदिर के स्थान पर गै0मु0 मंदिर श्री चाम्पल माताजी व ख0सं0 109, 109 व 111 काश्तकार का नाम ग्राम पंचायत पांयला खुर्द के स्थान पर राजस्थान सरकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती किये जाने के आदेश तहसीलदार, सिणधरी को दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 17.06.2022 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों व न्यायिक निर्णयों का अवलोकन किये बिना व नियम विरूद्ध पारित किया गया है जो संशोधित किये जाने योग्य है। श्री चाम्पल माताजी के ओरण हेतु तत्कालीन जागीरदार ने 130 पोंड गुना 170 पोंडा भूमि इनायत भेट की थी जो ताम्रपत्र पर लिखी हुई है जो ताम्रपत्र आज भी उपलब्ध है और उक्त मंदिर की पूजा अपीलान्ट पुजारी के परिवार प्रारम्भ से ही करते आ रहे है। उक्त ओरण भूमि आज भी माताजी के ओरण के नाम से ग्राम में जानी व पहचानी जाती है। जागीरदारी के पश्चात भी ओरण भूमि का यथावत रखा गया। भलखाडी का सर्वप्रथम सेटलमेन्ट हुआ तब उक्त ख0सं0 108, 109 व 111 कायम करके ख0सं0 108 थान/स्थान जोगमाया के रूप मे दर्ज किया गया तथा ख0सं0 109 व 111 को ओरण के रूप में दर्ज कर दिया गया लेकिन ओरण किसके नाम का है यह खुलासा नहीं किया गया। जबकि पास में महादेव मंदिर के लिये ओरण छोडा हुआ था वो डोली मंदिर श्री महादेव मंदिर के रूप दर्ज कर दिया गया। सवंत 2023 से 2026 की जमाबन्दी में बिना किसी सक्षम अधिकारी व बिना न्यायालय के आदेश का एक नोट इस आशय का लगा दिया गया कि गैर मुमकिन ओरण के ख0सं0 109 व 111 ग्राम पंचायत को दी गई है। बिना सक्षम आदेश के ऐसी भूमि का राजस्व रेकर्ड में किस्म परिवर्तन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था और ऐसे आदेश शून्य आदेश की श्रेणी में आते है जो कि भू–राजस्व नियमों के तहत शुद्ध किये जाने व गलती सुधारे जाने के अधिकारी होते है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर राज्य पक्ष

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की ओर से तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए ख0सं0 108 को गैर मुमकिन मंदिर श्री चाम्पल माताजी व उक्त ओरण भूमि को गैर मुमकिन ओरण श्री चाम्पल माताजी दर्ज करने पर अपनी अनापत्ति जाहिर की तथा दुरूस्ती बाबत सहमति प्रदान की। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 4.3.2022 को आंशिक स्वीकार करते हुए ग्राम भलखाडी की ख0सं0 108 किस्म गैर मु0 मंदिर के स्थान पर गै0मु0 मंदिर श्री चाम्पल माताजी व ख0सं0 109, 109 व 111 काश्तकार का नाम ग्राम पंचायत पांयला खुर्द के स्थान पर राजस्थान सरकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया गया है परन्तु उल्लेखित ओरण के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड में ओरण श्री चाम्पल माताजी दर्ज करने का आदेश पारित नहीं किया है। इसलिये ख0सं0 109 व 111 से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड में ओरण श्री चाम्पल माताजी दर्ज नहीं करने की हद तक निरस्त किया जाकर संशोधित आदेश जारी किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ओरण की भूमि को और किसी प्रयोजनार्थ कार्य/उपभोग में नहीं लिया जा सकता है। वह भूमि उसी मंदिर के नाम ही रहती है। प्रथम सेटलमेन्ट के समय से ही उक्त भूमि ओरण व मंदिर के रूप में दर्ज चली आ रही है लेकिन सहवन से ओरण श्री चाम्पल माताजी व मंदिर श्री चाम्पल माताजी शब्द अंकित होने से रह गया था। ख0सं0 108 में वर्तमान में श्री चाम्पल माताजी का मंदिर बना हुआ है तथा ख0सं0 109 में धर्मशाला, टिनशेड, हवनकुण्ड, टांके, प्याउ व होदी इत्यादि बने हुए है तथा ख0सं0 111 मौके पर खाली पडी है। धार्मिक आस्था के कारण अन्य लोग किसी प्रकार से दखलअन्दाजी नहीं कर सकते। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा भादरिया राय माताजी के प्रकरण में रियासल काल के समय में मंदिर को ओरण हेतु समर्पित भूमि माताजी के नाम करने का आदेश दिया गया था। राजस्थान में कई बडे मंदिरों में स्थापित मूर्ति के पास की भूमि जो कि ओरण दर्ज है, वह उन्हीं मंदिर मूर्ति के नाम के साथ ओरण दर्ज हो रखी है तो ऐसे में उल्लेखित खसरान भूमि को भी मंदिर मूर्ति श्री चाम्पल माताजी के ओरण के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधि के अनुसार सही है। इस प्रकार के संशोधन से किसी अन्य पक्षकार को, न अन्य व्यक्ति/समाज को अधिकार मिलेंगे और ना ही भूमि की किस्म परिवर्तित होगी। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रियासत काल के समय से हमारे पूर्वजों द्वारा छोडे गये ओरण को माताजी के नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया, जो कि हर प्रकार से

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

संशोधन किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र राजकीय पेरोकार के तर्क को मध्यनजर रखते हुए कि ''ख0सं0 109 व 111 किस्म गैर मुमकिन ओरण वक्त सेटलमेन्ट में दर्ज होने के कारण इसकी किस्म में परिवर्तन नहीं किया जावे'' के आधार पर अपीलाधीन आदेश में ऐसा संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं माना है। अगर उल्लेखित ओरण को किसी देवता के नाम के साथ ओरण दर्ज करने की कार्यवाही होती है तो उसकी किस्म किस प्रकार से परिवर्तित होगी, यह समझ से परे है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि श्री चाम्पल माताजी के मंदिर के पास जो ओरण है उसको राजस्व रेकर्ड में श्री चाम्पल माताजी के ओरण के नाम से संशोधित करते हुए दर्ज कर दिया जाता है तो इससे न तो राजस्व रेकर्ड में कोई किस्म परिवर्तन होती है और न ही किसी के हक–अधिकार प्रभावित होते है और न ही मंदिर मूर्ति को विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है, बल्कि उक्त राजस्व रेकर्ड के दुरूस्ती हो जाने से ओरण भूमि सुरक्षित रहेगी और ओरण खुर्द बुर्द होने से बच जायेगा। राजस्थान में हजारो ओरण अलग–अलग देवी देवताओं के नाम के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसमें ओरण श्री माताजी, ओरण श्री भैरूजी, ओरण श्री पाबूजी, ओरण श्री गोगाजी, ओरण श्री महादेव जी, ओरण श्री देवनारायण जी इत्यादि लिखे हुए है तथा इनके नाम से हजारों–लाखों बीघा भूमि दर्ज हो रखी है। इस कारण से उक्त ओरणों की भूमि आज भी सुरक्षित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.04.2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण संख्या 202/1995 में पारित निर्णय दिनांक 3.7.2018 का आधार लेकर आरआरडी 2007 सरकार बनाम भादरिया राय माताजी के न्यायिक दृष्टान्त को मानने से इन्कार कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ओरण व देव भूमि के सम्बन्ध में कपूर कमेटी व सीईसी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसका अंकन किया गया है जिसमें देव भूमि व ओरण को प्रकिया अपनाकर वन के लिये आरक्षित किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.4.2022 को संशोधित करते हुए श्री चाम्पल माताजी के लिये छोडे गये ओरण जिसके भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा ख0सं0 109 व 111 कायम किये गये है, को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन ओरण श्री चाम्पल माताजी दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे तथा अपीलाधीन आदेश की शेष पालना करने के निर्देश प्रसारित करावें। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी, सित. 2007 पेज 628 तथा फार्म नं. 03 के साथ दस्तावेजों की प्रतियॉ पेश की गई जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं अपीलान्ट/प्रार्थी एवं राजकीय पैरोकार की ओर से की गई बहस को सुनने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम भलखाडी तहसील सिणधरी की ख0सं0 108 किस्म गैर मुकिन मंदिर के स्थान पर गैर मुमकिन मंदिर श्री चाम्पल माताजी एवं ख0सं0 108, 109 व ख0सं0 111 काश्तकार का नाम ग्राम पंचायत पांयला खुर्द के स्थान पर राजस्थान सरकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया है वह पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल होने से यथावत रखा जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ओरण भूमि को श्री चाम्पल माताजी के नाम ओरण दर्ज करने को विधि के अनुसार उचित नहीं माना है और अपीलान्ट के इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि बिना किसी सक्षम आदेश से ग्राम पंचायत पायला खुर्द के नाम दर्ज किये जाने को विधि के विपरित मानते हुए उसे ग्राम पंचायत से हटाकर राजस्थान सरकार दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, वो पूर्ण रूप से उचित है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की सभी ओरण एवं अन्य भूमियों को अतिक्रमण से बचाने तथा इन भूमिया का अन्य उपयोग/उपभोग नहीं हो सके, इस कारण से उन्हें वन विभाग में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करता आ रहा है। इस आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या दो की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उल्लेखित भूमि को मंदिर श्री चाम्पल माता जी व ओरण की भूमि को श्री चाम्पल माताजी के नाम दर्ज करने तथा भूमि ग्राम पंचायत के नाम अथवा राजस्थान सरकार के नाम यथावत दर्ज रखे जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत पायला खुर्द को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का बगौर अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/ प्रार्थी की ओर से उल्लेखित खसरा संख्या 108 की भूमि जो कि गैर मुमकिन मंदिर दर्ज थी, को गैर मुमकिन मंदिर श्री चाम्पल माताजी के नाम करने तथा अन्य खसरा संख्या 109 व 111 भूमि जो कि गैर मुमकिन ओरण, ग्राम पंचायत, पायला खुर्द के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खाते में दर्ज थी, को गैर मुमकिन ओरण श्री चाम्पल माताजी के नाम दर्ज करवाने सम्बन्धी एक प्रार्थनापत्र दिनांक 04.03.2022 पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार, सिणधरी से मौका रिपोर्ट इत्यादि तलब की गई। तहसीलदार, सिणधरी से प्राप्त उक्त रिपोर्ट दिनांक 2.3.2022 तथा अपीलान्ट के प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ख0सं0 108 की भूमि को गैर मुमकिन मंदिर के स्थान पर गैर मुमकिन मंदिर श्री चाम्पल माताजी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है तथा अन्य ख0सं. 108, 109 व 111 की भूमि किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्थान सरकार के खाते में पूर्व में दर्ज होने तथा बिना किसी आदेश के उक्त भूमि राजस्थान सरकार के स्थान पर ग्राम पंचायत पायला खुर्द के नाम दर्ज किये जाने को विधि विरूद्ध मानते हुए उल्लेखित भूमि के काश्तकार के नाम में ग्राम पंचायत पायला खुर्द के स्थान पर राजस्थान सरकार दर्ज करने का आदेश दिनांक 19.4.2022 को पारित किया है। इस प्रकार ख0सं0 109 व 111 की किस्म गैर मुमकिन ओरण के स्थान पर गैर मुमकिन ओरण श्री चाम्पल माताजी दर्ज किये जाने सम्बन्धी राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ/प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से यह न्यायालय पूर्णतः सहमत है क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से ही उक्त ओरण भूमि की किस्म गैर मुमकिन ओरण दर्ज चली आ रही है, किसी मंदिर विशेष के नाम से दर्ज नहीं होना प्रकट है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज. पैरोकार के द्वारा भी ''ख0सं0 109 व 111 किस्म गैर मुमकिन ओरण वक्त सेटलमेन्ट से ही दर्ज होने के कारण इसकी किस्म में परिवर्तन नहीं किया जावें'' उल्लेखित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट की इस आशय की की इस्तदुआ/मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड में पूर्व में दर्ज इन्द्राजात को राजस्व रेकर्ड के अद्यतन के समय हुई लिपिकिय त्रुटि को ही दुरूस्त करवाया जा सकता है, न कि किसी प्रकार से भूमि के मालिकाना हक–अधिकार तय करवाये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस प्रकार की भूमि को प्रतिबन्धित होना बताते हुए उक्त भूमि के इन्द्राजात को संशोधन योग्य नहीं माना है, जो पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। ऐसे में अपीलान्ट के द्वारा इस अपील के जरिये जो अनुतोष चाहा गया है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकता है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हमारे विनम्र मत में

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2022 में विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर